

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

1
/17

रजू दिनांक
24.07.2017

निर्णय दिनांक
19.07.2018

अनुवान

अमीलाल पुत्र मंगतूराम उम्र करीब 73 साल जाति अहीर, निवासी दरबारपुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

:- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, (राज0)

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए.


प्रस्थिति:-

श्री सरजीत वकील-प्रार्थी

-:निर्णय:-

दिनांक:- 19.07.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित थे। सुना गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 35/0.10 हैक0 वाके ग्राम दरबारपुर, तहसील मुण्डावर में स्थित होकर उक्त आराजी में नि प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हूँ। जमाबन्दी सम्वत् 1971-74 तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी का नाम मनीलाल पुत्र मंगतू अहीर साकिन् देह खातेदार दर्ज कर लिया गया जब कि जमाबन्दी सम्वत् 2034 में भी अमीलाल पुत्र मंगतू का अंकन ही है एवं


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

श्री नाम अलीलाल पुत्र मंगतूराम एवं प्रार्थी के दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड तथा भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मनीलाल पुत्र मंगतूराम दर्ज है। उक्त गलत अंकन की गिन प्रार्थी को जानकारी नहीं थी। प्रार्थी का पटवारी से नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई जिस कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी कृषि भूमि पर ऋण आदि लेने में परेशानी हो रही है, इसलिए गिन प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम मनीलाल पुत्र मंगतू के स्थान पर मनीलाल पुत्र मंगतूराम दर्ज कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुए हाल राजस्व रिकार्ड में गलत नाम मनीलाल पुत्र मंगतू के स्थान पर सही नाम अमीलाल पुत्र मंगतूराम दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।


प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034 तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र की प्रतियां पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का जांच वलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को पेश करते हुए, जमाबन्दी सम्वत् 2034 में अंकित प्रार्थी का सही नाम अमीलाल पुत्र मंगतूराम दर्ज रिकार्ड है, के अनुसार ही आराजी खसरा नम्बर 265 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर के हाल राजस्व रिकार्ड में मनीलाल पुत्र मंगतू के स्थान पर अमीलाल पुत्र मंगतूराम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना को यह न्यायालय स्वीकार योग्य माना जाता है।


—:आदेश:—

अतः यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 265 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर में अंकित मनीलाल पुत्र मंगतू के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसके स्थान पर अमीलाल पुत्र मंगतूराम नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश


उपखण्ड अधिकारी
राजस्व (अलवर) राज

इये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु
हसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर
यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

 19.07.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)